

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1077 /2021

दिनांक : 06.05.2021

श्री अनिल पारवानी (RJ1165), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी (करौली) को दिनांक 30.03.2021 से 09.04.2021 तक 11 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 28.03.2021 से 29.03.2021 एवं 10.04.2021 से 14.04.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री पारवानी की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिडौनसिंटी (करौली) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी (करौली) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/30/2017/3002

दिनांक 06.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को उनके पत्रांक 2234 दिनांक 16.04.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनिल पारवानी (RJ1165), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी (करौली)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी (करौली)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिडौनसिंटी (करौली)।

सहायक रजिस्ट्रार